न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 154 / 2022

जयप्रकाश बेनीवाल, निवासी मकान नं0 75, जी0 आर0 पब्लिक स्कूल के पास, तिलक नगर, बीकानेर, पिन कोड 334001, मो0न0 9460270633

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 26.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 154 / 2022 पर दिनांक 05.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 1898—99 दिनांक 05.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक न्याय / 22 / 415 दिनांक 19.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर तहसीलदार चिडावा को प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए उन्हे लिखा गया है कि प्रार्थी जयप्रकाश बेनीवाल निवासी मकान नं0 75, जी0आर0 पब्लिक स्कूल के पास, तिलक नगर, बीकानेर ने श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के यहां प्रथम अपील दायर की है जिसकी प्रति आपको भिजवाई जाकर लेख है कि वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2022 से पूर्व श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं को भिजवाना सुनिश्चित करे। इस संबंध मे तहसीलदार चिडावा ने पत्रांक राजस्व / 22 / 220 दिनांक 25.05.2022 द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे रिपोर्ट बिन्दुवार इस प्रकार है कि बिन्दू सं0 (अ) प्रार्थी द्वारा ग्राम किठाना के भूमि ख0न0 1001 पर व 996 जोहड की गौचर भूमि पर अतिक्रमण की सूचना चाही गई है जो प्रार्थी द्वारा कार्यालय समय मे किसी भी कार्य दिवस मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। बिन्दू सं0 (ब) प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की सूचना चाही गई है जो प्रार्थी द्वारा कार्यालय समय मे किसी भी कार्य दिवस मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। बिन्दू सं0 (स) व (द) मे चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा प्रस्तुत पत्रांक न्याय / 22 / 415 दिनांक 19.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर तहसीलदार [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए उन्हे लिखा गया है कि प्रार्थी जयप्रकाश [illegible] जी0आर0 पब्लिक स्कूल के पास, तिलक नगर, बीकानेर ने श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुं[illegible]के यहां प्रथम अपील दायर की है जिसकी प्रति आपको भिजवाई जाकर लेख है कि वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 25.05.202[illegible] श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं को भिजवाना सुनिश्चित [illegible]। इस संबंध मे तहसील[illegible]डावा ने पत्रांक राजस्व / 22 / 220 दिनांक 25.05.2022 द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे रिपोर्ट बिन्दुवार इस प्रकार है कि बिन्दू सं0 (अ) प्रार्थी द्वारा ग्राम किठाना के भूमि ख0न0 1001 पर व 996 जोहड की गौचर भूमि पर अतिक्रमण की सूचना चाही गई है जो प्रार्थी द्वारा कार्यालय समय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:34 IST
Reason: SelfAttested

किसी भी कार्य दिवस मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। बिन्दू सं0 (ब) प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की सूचना चाही गई है जो प्रार्थी द्वारा कार्यालय समय मे किसी भी कार्य दिवस मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। बिन्दू सं0 (स) व (द) मे चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:34 IST
Reason: SelfAttested